

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/नर्सिंग/एलएचवी/स्वै0नि0/एम-28/2017/807

दिनांक:- 3/11/2017

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर ।

विषय:- श्रीमती मरियम्मा सी.पी., एलएचवी, के स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश
जारी करने बाबत ।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक स्था/चिकि/2017/10894 दिनांक 05.10.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती मरियम्मा सी.पी., एलएचवी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुनखुना डीडवाना, नागौर के दिनांक 01.11.2017 स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी करने के जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की कमियों को देखते हुए स्वैच्छिक सेवा निवृति पर रोक है।

कार्मिका को दिनांक 01.11.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश जारी किया जाना संभव नहीं है। अतः आप अपने स्तर से कार्मिका को पाबन्द/सूचित करें।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:-

क्रमांक/नर्सिंग/एलएचवी/स्वै0नि0/एम-28/2017/

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- श्रीमती माया बनर्जी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करावें।

//
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर